परिशिष्ट "आ"

(पैराग्राफ 2 देंखे)

भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा निवेशों पर सेक्टोरल कैप

सेक्टर	निवेश कैप	कार्यकलाप / मद / स्थिति का वर्णन
1.निजी क्षेत्र बैंकिंग	49%	रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा-विदेशों के अधीन
2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया	100%	नीचे दर्शाये गये स्तर के अनुसार एफडीआई / एनआरआई /ओसीबी में निवेश निम्नलिखित 19 एनबीएफसी गतिविधियों में अनुमत है। क) शामिल कार्यकलाप: 1. मर्चेंट बैंकिंग 2. अंडरराइटिंग 3. संविभाग प्रबंध सेवा 4. निवेश परामर्श सेवा 5. वित्तीय परामर्श 6. स्टॉक-ब्रोकिंग 7. आस्ति प्रबंध 8. उद्यम पूंजी 9. कस्टोडियल सवा 10.फैक्ुअरिंग 11.क्रेडिट रेफरंस एजेंसियां 12.क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां 13.लीज़िंग तथा वित्त 14.आवासीय वित्त 15.फॉरेक्स ब्रोकिंग 16.क्रेडिट कार्ड कारोबार 17.मुद्रा विनिमय कारोबार 18.माइक्रो ऋण 19.ग्रामीण ऋण ख) एनबीएफसी के आधार पर निधि के लिए न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड

		i) 51 प्रतिशत तक एफडीआई के लिए हो तो 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट के रूप में लाया जाए ii) अगर एफडीआई 51 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक हो तो 5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट के रुप में लाया जाए iii) अगर एफडीआई 75 प्रतिशत से अधिक ओर 100 प्रतिशत तक हो तो 50 मिलियन अमरीकी डॉलर , जिसमें 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर अपफ्रंट के रुप में और श्टाष 24 महीनों में लाया जाए iv) ग) ग) <u>गैर निधि के आधार पर कार्यकलापों के लिए न्यूनतम पूंजिकरण मानदंड</u> 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम पूंजीकरण मानदंड़ विदेशी निवेश्ं के साथ गैर-निधि पर आधारित एनबीएफसी गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी को लागू है। घ) विदेशी निवेशक, भारतीय सतता की ईक्विटी के कम से कम 25 प्रतिशत के विनिवेश की शर्त के अलावा 100 प्रतिशत तक परिचालनात्मक सहायक कंपनिया स्थापित कर सकते हैं बशर्ते कि उक्त (ख) (iii) के 50 मिलियन अमेरीकी डॉलर लाने के अधीन (अतिरिक्त पूंजी लाये बिना परिचालनात्मक सहायक कंपनियों की संख्या के प्रतिरिध को छोड़कर) ड) एनबीएफसी परिचालन के संयुक्त उद्यम जिनके 75 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश है उन्हें भी अन्य एनबीएफसी क्रियाकलाप उपक्रम के लिए कंपनियां स्थापितकरने की भी अनुमति होगी बशर्ते कि कंपनियां भी न्यूनतम पूँजी अंतर्वाह अर्थात (ख) (i) और उक्त (ख) (ii) का अनुपालन करें

		च) स्वचालित मार्ग पर एनबीएफसी क्षेत्र में एफडीआई डाल दें बशर्ते कि रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों का अनुपालन किया हो । रिज़र्व बैंक इस संबंध में उचित दिशा निदेश जारी करेगा।
3. बीमा	26%	बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 26% तक विदेशी प्रत्यख निवेश की अनुमति है बशर्ते कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से लाइसेंस प्राप्त किया हो।
4. दूरसंचार	49%	i) सेटेलाईट द्वारा बेसिक, सेलूलर मूल्यवर्धित सेवाओं में और ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 49 प्रतिशत तक सीमित कंपनी जो निवेश करती है और कंपनी जो निवेश करती है और कंपनी जिसमें निवेश किया जानेवाला है, विदेशी ईक्विटी कैप ओर ईक्विटी ओर अन्य लाइसेंस प्रावधानों के अंतरण और जोडने के लिए लाइसेंसे शर्तें ii) आईएसपी के साथ गेटवे, रेडिओ पेजिंग और एण्दड-टु-एण्ड बैंडविड्थ में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 74 प्रतिशत से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। ये सेवाएं लाइसेसिग और सुरक्षा आवश्यकताओं क अधीन है। iii) उत्पाद कायकलापों के लिए ईक्विटी कैप लागू नहे है।

		iv) दूरसंचार क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमत है : क) गेट वे उपलब्ध न कराने वाले आईएसपी (सेटेलाइट और सबमरीन केबल दोनों के लिए) ख) डार्क फाइबर उपलब्ध कराने वाले इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स (आईपी श्रेणी 1) ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल और घ) वॉयस मेल उक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं; क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमन हे यदि यइ कंपनियां दुनिया के अन्य क्षेत्रों कंपनियां दुनिया के अन्य क्षेत्रों में सूचिबद्ध है बशर्ते कि ऐसी कंपनिया 5 वर्ष में उनके ईक्विटी के 26 प्रतिशत तक विनिवेश भारतीय जनता के पक्ष में करें। ख) उक्त सेवाएं लाइसेंसिंग और सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन होंगी, जब आवश्यक हो। v) 49 प्रतिशत से अधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एफआईपीबी द्वारा मामले दर मामले आधार पर विचार किया जाएगस।
5. प्रेट्रोलियम रिफाइनिंग (निधि क्षेत्र)	100%	निजी भारतीय कंपनियों के मामले में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

6. आवास और भूमि भवन	1	नीचे बताए गए क्षेत्रों में केवल अनिवासी भारतीय / विदेशी कंपयनी निकायों को ही 100 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है : क) सुविधायुक्त प्लाटों का विकास और आवासीय परिसरों का निर्माण ख) भूमि-भवन में निवेश जिसमें व्यापारिक केंद्रो और कार्यालयों सहित आवासीय और वाणिज्य परिसरों का निर्माण शामिल है। ग) टाउनशिप का विकास घ) नगर और क्षेत्रीय स्तर की शहरी मूलभूत सुविधाएं जिसमें सड़कें और पुल शामिल हैं। ङ) भवन सामग्रीके विनिर्माण में निवेश जो एनबीएफसी जैसी एफडीआई के लिए भी खुला है ि च) ऊपर (क) से (ङ) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सहभागिता उद्यमों में निवेश छ) आवासीय वित्त संस्थाओं में निवेश
7. कोयला और लिग्नाइट		i) भारतीय निजी कंपनियां जो सीमित उपभोग के लिए पॉवर परियोजनाएं और कोयले अथवा लिग्नाइट की परियोजनाएं लगा रही हैं अथवा उनका कार्य-संचालन कर रही हैं उन्हें 100 प्रतिशत विदेश प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है। ii) कोयला प्रसंस्क्रण संयंत्र लगाने के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है, बशर्ते कि कंपनी कोयला खनन न करे और अपने कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों से खुले बाज़ार में साफ किया हुआ अथवा टुकड़े किया हुआ कोयला उन्हीं पार्टियों को सप्लाई करेंगे जो जोयला प्रसंस्करण संयंत्रों को साफ करने अथवा टुकड़े करने के लिए कच्चा कोयला सप्लाई करते हैं। iii) सीमीत खपत के लिए कोयले अथवा लिग्नाइट का पता लगाने अथवा खनन के लिए 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है। ख) iv) उक्त सभी मामलों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेश प्रत्यक्ष निवेश 50 प्रतिशत तक अनुमत है बशर्ते कि ऐसे निवेश पीएसयू के ईक्विटी के 49 प्रतिशत से अधिक न हो।
8. उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) और उद्यम पूंजी कंपनी (वीसीएफ)		समुद्रपारीय उद्यम पूंजी निधियों / कंपनियों को घरेलू उद्यूम पूंजी उपक्रम साथ ही साथ अन्य कंपनियों में स्वचालित मार्ग के जरिए निवेश की अनुमति केवल सेबी विनियमावली और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर सेक्टर स्पेसिफिक कैप के अधीन

9. व्यापार		(i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 51 प्रतिशत तक व्यापार की अनुमति है बशर्ते कि वह प्राथमिक स्वरूप के क्रियाकलाप और उपक्रम निर्यात गृह/व्यापार गृह सुपर ट्रेडिंग हाउस / स्टासयर ट्रेडिंग हाउस हो। तथापि एफआईपीबी मार्ग के अंतर्गत व्यापारी कंपनियां निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है क) निर्यात ख) निर्यात/एक्त बांडेड वेयरहाउस विक्री के साथ बल्क आयात ग) कैश अण्ड कैरी खुदरा व्यापार घ) अन्य वस्तु और सेवाओं का आयात उसी समूह के सरकारी खरीद और विक्री के लिए कम से कम 75 प्रतिशत तक हो और न कि तीसरे पक्ष के उपयोग आगे के अंतरण /वितरण और विक्री के लिए ii) एक्ज़िम नीति के प्रावधानों के अधीन व्यापार के निम्नलिखित मदें भी अनुमत हैं- क) विक्री पश्चात् सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए कंपनिया (जो स्वयं एवं व्यापारी नहीं हैं) ख) संयुक्त उद्यमों के उत्पदों के घरेलू व्यापार थोक स्तर पर अनुमत है ऐसी व्यापारी कंपनियां जिसकी भारत में ईक्विटी सहभागिता है और उत्पादों को बाज़ार में उतारना चाहते हैं ग) हाई-टेक वस्तुएं/वस्तुएं जिन्हें विक्री पश्चात् विशेष सेवाओं की आवश्यकता है घ) सामाजिक क्षेत्रों के स्रोत से वस्तुओं का व्यापार जिसके अंतर्गत, तकनीकी आधार और दी गई गुणवत्ता विशषताओं पर कंपनी उनके ब्रांड नाम से व्यापार कर सकती है।
		च) निर्यात के लिए उत्पाद का घरेलू स्रोत

		छ) ऐसी वस्तुओं की टेस्ट मार्केटिंग जिसके लिए कंपनी को उत्पाद की अनुमति है बशर्ते कि ऐसी टेस्ट मार्केट सुविधा दो साल की अवधि की हो और उत्पादन सुविधाओं में निवेशं का प्रारंभ टेस्ट मार्केटिंग के साथ किया हो ज) ई-कामर्स कार्यकलाप के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है बशर्ते कि अगर ऐसी कंपनियां दुनिया के अन्य भागों से सूचीबद्ध हों, तो पांच साल में वह उनके ईक्विटी के 26 प्रतिशत का विनिवेश भारतीय जनता के पक्ष में करें। **ऐसी कंपनियां केवल कारोबार से ई-कॉमर्स (बी2बी) में रत हो न कि खुदरा व्यापार में**
10.पावर	100%	परमाणु रिऐक्टर पॉवर प्लांट के अलावा बिजली निर्माण, आबंटन तथा वितरण की परियोजना के संबंध में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। परियोजना की लागत तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मात्रा में कोई भी सीमा नहीं है।
11. दवाइयां और औषधियां (फार्मास्युटिकल्स)	100%	दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, बशर्ते कि कार्यकलाप को अनवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक और विशेष सेल/टिश्यू टार्गेटेड फॉर्मुलेशन्स का उपयोग शामिल है। लाइसेंसीकृत दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स और रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक से उत्पादित थोक दवाइयां और विशेष सेल/टिश्यु टारगेटेड फॉर्म्युलेशन्स में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।
12. रोड और महामार्ग बंदर और बंदरगाइ	100%	मार्ग और महामार्ग, वाहन पूल, टोल मार्ग, वाहन टनेल, पत्तन और बंदरगाइ के निर्माण तथा रखरखाव की परियोजनाएं

13. होटल और पर्यटन	100%	होटलों में एसे सभी रेस्तरां, बीच रिज़ार्ट और अन्य टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं जो पर्यटकों को रहने की जगह और/अथवा खान-पान की सुविधा प्रदान करते हैं। पर्यटन संबंधी उद्योग में ट्रवेल एजेंसियां, टूर ऑपरेटिंग एजेंसियां और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग एजेंसियां, पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक, साहसिक कार्यों और वन्य पशुओं को देखने की सुविधा उपलब्ध करानेवाली यूनिट, पर्यटकों के लिए भू-मार्ग, हवाई-मार्ग और जल-मार्ग से परिवहन की सुविधा उपलब्ध करानेवाले, पर्यटकों के लिए आराम करने, मनो-विनोद, खेल-कूद और स्वास्थ्य संबंधी यूनिट ओर सम्मेलन/समारोह आयोजित करनेवाले यूनिट और संगठन। विदेशी तकनीकी करारों के लिए स्वचालित अनुमति दी जाएगी अगर, i) परियोजना की पूंजी लागत के 3 प्रतिशत तक का प्रस्तावित भुगतान, तकनीकी और परामर्शी सेवा जिसमें आर्किटेक्ट, डिज़ाइन, पर्यवेक्षण आदि का शुल्क शामिल ii) निवल पण्यावर्त के 3 प्रतिशत तक प्रेन्चाइजिंग और मार्केटिंग/प्रचार समर्थन शुल्क, और प्रोत्साहन शुल्क सहित प्रबंध शुल्क के लिए देय सकल परिचालन लाभ का 10 प्रतिशत तक
14. खनन	74%	i) हीरे और जवाहरत का अन्वेषण और खनन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है। ii) हीरे और जवाहरत को छोड़कर सोने और चांदी और खजिनों का पता लगाना और खनन, धातु कर्म तथा प्रसंस्करण के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है। iii) जहाँ तक खनन क्षेत्र का संबंध है वहाँ 100 प्रतिशत कंपनियां स्थ्ांपित करने के लिए दिनांक 14.12.98 का प्रेस नोट 18 (1998 सिरीज़) लागू नहीं होगी बशर्ते कि आवेदक से इस आश्ंाय का घोषणापत्रा प्राप्त हो कि उनके पास उसी क्षेत्र और / अथवा विशिष्ट खनिज के लए वर्तमान में संयुक्त उद्यम नहीं है।
15.विज्ञापन	100%	क) विज्ञापन क्षेत्र स्वाचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है।
16. फिल्में	100%	ख) फिल्म क्षेत्र (संबंधित सेवाओं / उत्पादों सहित फिल्म का उत्पादन, प्रदर्शन और वितरण स्वचालित मार्ग पर प्रवेश स्तर बिना शर्त के 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष विनेश की अनुमति
17.हवाई अड्डे	74%	74% से अधिक के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक

18. अत्याधिक द्रुत परिवहन प्रणायां	100%	सहयोगी भूमि भवन विकास समेत सभी शहरों में अत्यधिक द्रुत परिवहन प्रणार्ली में स्वचालित मार्ग पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 100 प्रतिशत तक अनुमत है
19.प्रदूषण नियंत्रण और प्रभाव	100%	स्वचालित मार्ग पर प्रदुषण नियंत्रण उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के एकीकरण के लिए परामर्श , दोनों में
20. विशेष आर्थिक क्षेत्र	100%	निम्नलिखित के अलावा सभी उत्पादन कार्यकलाप: i) शस्त्र और एम्युनिशन, विस्फोटक और सुरक्षा उपस्कर संबंध वस्तु, सुरक्षा हवाई अड्डा तथा युद्ध नौका ii) परमाणु वस्तु, नॉकटिक्स तथा सैकॉट्रोपिक वस्तु तथा iii) मादक पेय का डिस्टिलेशन और ब्रूइंग iv) सिगरेट/सिगार तथा उत्पादित तंबाकू पूरक